अध्याय XIX

उत्तर प्रदेश

सबसे अधिक देश की जनसंख्या का 16.44% आबादी वाला राज्य होने के कारण उत्तर प्रदेश का एक विशिष्ट स्थान है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है जो कि देश की जनसंख्या का 21.05% है। परंतु राज्य की कुल जनसंख्या में अनु.ज.जा. के लोगों की संख्या केवल 0.21% है। 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों में राष्ट्रीय औसत साक्षरता क्रमशः 26.85% तथा 35.7% थी जबकि इसकी तुलना में पूरे राज्य के लिए यह प्रतिशतता 41.60% थी। अनुसूचित जाति की केवल 10.69% तथा अनुसूचित जनजाति की 19.86% महिलाओं को साक्षर के रूप में दर्ज किया गया। स्कूलों में भर्ती न होना और स्कूल बीच में ही छोड़ देना राज्य में अब भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है।

19.2 व्यावसायिक पैटर्न को देखने से पता चलता है कि अनुसूचित जाति के लगभग 42.63% लोग और अनुसूचित जनजाति के 69.56% लोग काश्तकारों के रूप में काम करते हैं और अनुसूचित जाति के 38.77% लोग तथा अनुसूचित जनजाति के 13.00% लोग कृषि श्रमिकों के रूप में कार्य करते हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 95% से अधिक अनुसूचित जाति के काश्तकार तथा लगभग 71% अनुसूचित जनजाति के काश्तकार छोटे और सीमांत किसान है। लगभग अनुसूचित जाति की 59.2% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रही है।

विकास और कल्याणकारी कार्यक्रम

19.3 उत्तर प्रदेश सरकार का समाज कल्याण विभाग जिसमें समाज कल्याण निदेशालय, जनजातीय विकास निदेशालय, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम तथा उ.प्र. समाज कल्याण निर्माण निगम शामिल है, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास और कल्याण के लिए बड़े कार्यक्रम कार्यान्वित करता है। नवीं योजना में निम्नलिखित उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

i) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना।

ii) सामाजिक भेदभाव दूर करना और सामाजिक तथा आर्थिक गतिशीलता के लिए कार्यक्रम क्रियान्वित करना।

iii) गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रहे लोगों के लिए स्व-रोजगार उत्पन्न करने वाले कार्यक्रम कार्यान्वित करना और गरीबी दूर करना।

iv) हाथ से झाड़ूकशी समाप्त करना और झाड़ूकशों की मुक्ति के लिए कार्यक्रम कार्यान्वित करना।

19.4 योजना तैयार करने, मानीटर करने और मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान करने के वास्ते राज्य में "कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ" एक अलग कक्ष स्थापित किया गया है। परंतु पिछले वर्षों की तरह राज्य में टी.एस.पी की भूमिका नगण्य है। वर्ष 1997-98 के दौरान टी.ए.पी. के अधीन

उपलब्ध धनराशि को एस.सी.पी. के साथ मिला दिया गया है और इसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जनजातियों पर किए गए व्यय और उन्हें प्राप्त हुए लाभ के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

एस.सी.पी./टी.एस.पी.

19.5 वर्ष 1997-98 के दौरान 7164 करोड़ रुपए के कुल योजना परिव्यय में से 1516 करोड़ रुपए एस.सी.पी. के लिए आवंटित किए गए थे जो 21.16 प्रतिश्त बनते हैं। परंतु इस आबंटन में से एस.सी.पी. के अधीन व्यय केवल 1012 करोड़ रुपए था जो केवल 67% उपयोग दर्शाता है। यद्यपि राज्य सरकार ने राज्य की अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में धनराशि आवंटित की है। तथापि यह धन का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने में बुरी तरह से असफल रहा है, कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में परिव्यय और व्यय के आंकड़े नीचे दिए गए हैं -

1997-98 के दौरान क्षेत्रवार परिव्यय और व्यय

(करोड़ रुपयों में)

		परिव्यय	व्यय	व्यय की प्रतिशतता
1.	कृषि और सम्बद्ध क्रिया कलाप	136.95	128.96	94
2.	ग्रामीण विकास	330.65	167.43	51
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	17.00	17.00	100
4.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	23.64	25.42	108
5.	ऊर्जा	123.83	92.00	74
6.	शिक्षा	53.83	40.00	74
7.	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	17.63	8.60	49
8.	जल आपूर्ति और सफाई	78.00	65.00	83

19.6 उपर्युक्त विवरण से देखा जा सकता है कि कृषि सिंचाई और बाढ़ नियत्रण में तो व्यय संतोषजनक है किन्तु ग्रामीण विकास, चिकित्सा सेवाएं और लोक स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य निष्पादन बहुत खराब है यह भी चिंता का विषय है कि चिकित्सा सेवा और लोक स्वास्थ्य तथा शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए आवंटित धनराशि किसी भी तरह से संतोषजनक नहीं है। राज्य में अनुसूचित जाति के समुदायों के विकास के लिए राज्य सरकार को उचित स्कीमें परिकल्पित और कार्यान्वित करने की और अधिक ध्यान देने की जरूरत है।

19.7 राज्य सरकार को 1997-98 के दौरान एस सी ए से एस सी पी के तहत 76.45 करोड़ रुपए दिए गए थे। परंतु राज्य सरकार केवल 55.72 करोड़ रुपए का ही उपयोग कर सकी। राज्य सरकार को एस सी ए की स्कीमों को एस सी पी की स्कीमों के साथ जोड़ना होगा ताकि एस सी ए के पूरे फायदे लभग्राहियों को मिल सके।

19.8 1997-98 के दौरान टी एस पी के तहत 32.57 करोड़ रूपए आवंटित किए गए थे जो राज्य के योजना परिव्यय का 0.45 प्रतिशत है। इसमें से 19.29 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया जो टी

एस पी के अधीन आवंटन का केवल 34 प्रतिशत है। राज्य सरकार को 0.64 करोड़ रुपए एस सी ए से एस सी पी के अंतर्गत प्रदान किए गए जिनका अनुसूचित जनजाति लोगों की बुनियादी न्यूनतम सुविधाओं तथा सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए पूरा-पूरा उपयोग किया गया। यहां यह बताना आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की मुख्य समस्या अल्प विकसित कृषि के कारण गरीबी है। यह नितांत आवश्यक है कि अनुसूचित जनजातियों के विकास की कार्यनीति व्यापक आर्थिक और धन संसाधन विकास प्रयासों पर अधारित हो ताकि वे सामान्य आर्थिक विकास कार्यक्रमों से लाभ पाने के लिए योग्यता हासिल कर सकें।

वित्त निगम

19.9 गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रही अनुसूचित जातियां को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति विकास निगम के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । यह निगम बहुत सी स्व-रोजगार स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है जिनके अंतर्गत परियोजना लागत की 50 प्रतिशत राशि आर्थिक इमदाद के रूप में दी जाती है। 1997-98 के दौरान इस निगम ने इस स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के 87318 लोगों को वित्तीय सहायता दी है। निगम शहरी क्षेत्रों में दुकानों के निर्माण के लिए 5000 रुपए तक निर्माण लागत भी देता है। 1997-98 के दौरान 12.84 लाख रूपए पूंजी निवेश करके कुल 242 दुकानों का निर्माण किया गया। यह झाड़कश्यों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए एक राष्ट्रीय स्कीम चलाता है जिसके अधीन 1314 व्यक्तियों को 1997-98 के दौरान लगभग 2.5 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। इस समय, निगम अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है। राज्य सरकार निगम के स्थापना संबंधी और अन्य प्रशासनिक व्यय पूरा करने के लिए धनराशि नहीं दे रही है सीमांत राशि के ऋणों की वसूली ठीक से न हो पाना भी एक परेशानी है। निगम के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एन एस एफ डी सी) को बकाया ऋण वापस करना मुश्किल हो गया है जिसके परिणामस्वरूप एन एस एफ डी सी बकाया कर्जों पर निगम से दण्डिक व्याज वसूल कर रहा है। निगम के पास अलग से कोई वसूली की प्रणाली नहीं है। **निगम ऋण मंजूर करने में बैंकिंग संस्थानों के असहयोग से संबंधित समस्याओं से जोर देकर बताता रहा है। निगम की परेशानियों की ओर राज्य सरकार तथा एन एफ डी सी को उचित ध्यान देना चाहिए ताकि यह अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सके।**

बड़े क्षेत्रों के अधीन कार्य निष्पादन

19.10 बड़े विकास क्षेत्रों के अंतर्गत राज्य के कार्य निष्पादन पर नीचे चर्चा की गई है।

भूमि

19.11 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की अधिकांश जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए जमीन पर निर्भर करती है। परंतु इनमें अधिकांश लोग भूमिहीन कृषि श्रमिकों के रूप में कार्य करते हैं। कृषि के लिए सबसे पहली बुनियादी आवश्यकता होने के कारण भूमि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए अत्यधिक महत्व रखती है। परंतु कृषि भूमि कम होती जा रही है क्योंकि इसकी अन्य क्षेत्रों के लिए भी आवश्यकता है। राज्य राजस्व बोर्ड के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राज्य में कुल चालू जोतों का केवल 16.38 प्रतिशत भाग अनुसूचित जातियों की जोतें हैं। हालांकि अनुसूचित जातियों द्वारा 10.48 प्रतिशत क्षेत्र पर कार्य किया जाता है। इसी प्रकार अनुसूचित जातियों के पास 0.16 प्रतिशत चालू जोते हैं जबकि उनके द्वारा 0.32 प्रतिशत क्षेत्र पर कार्य किया जाता है। राज्य सरकार ने कई भूमि सुधार नीति संबंधी उपाय किए हैं, जैसाकि अंतः मध्यवर्ती कारगकारी

समाप्त करना, काश्तकारी सुधार कृषि जोतों के स्वामित्व की अधिकतम सीमा निर्धारण अधिकतम सीमा वाली अधिशेष भूमि और अन्य प्रकार की जमीनों का भूमिहीन लोगों को वितरण। राज्य सरकार ने 5,70,309 एकड़ भूमि अधिशेष भूमि के रूप में घोषित की है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 2,41,206 लोगों में से प्रत्येक को 1.13 एकड़ भूमि वितरित की गई। इसी प्रकार ग्राम सभा की जमीन भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में वितरित की गई। अनुसूजित जाति/अनुसूचित जनजाति के लगभग 18 लाख लोगों को ग्राम सभा की 5,98,905 एकड़ जमीन आवंटित की गई। भूमि समतल बनाने, उर्वरक, बीज खरीदने आदि जेसे कार्यों के लिए अधिकतम सीमा वाली भूमि के आवंटितियों को प्रति एकड़ 1000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा भूमिहीन कर्मकारों को घर बनाने के लिए 150 वर्ग गज जमीन भी प्रदान की जाती हैं। 1997-98 के दौरान 21,50,930 अनुसूचित जाति परिवारों को भू-खंड दिए गए। इंदिरा आवास योजना के तहत भी घर बनाने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 99431 लोगों को भू-खंड दिए गए जिनका न्यूतम कृषि क्षेत्र 20 वर्ग मीटर था।

डेरी विकास

19.12 उत्तर प्रदेश देश में दूध का सबसे अधिक उत्पादन करने वाले राज्यों में से एक है। डेरी विकास विभाग डेरी सहकारी समितियों के जरिए कई स्कीमें चलाता आया है जैसा कि नई सहकारी समितियां गठित करना, कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था, पशुस्वास्थ्य सुविधाएं, मवेशियों का चारा आदि। आठवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान 57 जिले कवर किए गए और 51 दुग्ध संघ तथा 12,386 कार्यात्मक समितियां गठित की गई। इस अवधि के दौरान लगभग 1.1 लाख अनुसूचित जाति के लोगों को लाभान्वित किए जाने का अनुमान है। विभाग के पास नवीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम का विस्तार करने की योजनाएं है। अनुसूचित जाति के लाभग्राहियों के साथ-साथ लखीमपुर, खेड़ी, गोंडा तथा बहराइच जिलों में रहने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को भी लाभान्वित किया जाएगा। डेरी चलाना ग्रामीण क्षेत्रों में गौण व्यवसायों में से एक कारगर साधन है और यह विभाग अपने कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने की और उचित ध्यान देता रहा है जो एक सराहनीय बात है। विभाग को इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त सहायता प्रदान करने की कोशिश करनी चाहिए।

ग्रामीण विकास कार्यक्रम

19.13 समाज के गरीब वर्गों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए राज्य में कई कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम दो श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं। एक कार्यक्रम का उद्देश्य कर्ज और आर्थिक इमदाद के जरिए उत्पादक परिसमपत्तियां देकर ग्रामीण निर्धनी में स्व-रोजगार को बढ़ावा देना है और इन कार्यक्रमों का लक्ष्य रोजगार के अवसर पैदा करना और सामुदायिक परिसम्पत्तियां बनाना है।

19.14 ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के पैकेज में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) का अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि जितने कुल परिवरों को सहायता की जाएगी उनमें से कम से कम 50 प्रतिशत परिवार इन समुदायों के होंगे। इस कार्यक्रम के तहत परिसम्पत्तियां सृजित करने तथा लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में समर्थ बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के पता लगाए गए गरीब से गरीब परिवारों को कर्ज तथा आर्थिक सहायता दी जाती है।

19.15 1997-98 के दौरान इस कार्यक्रम के तहत 210 करोड़ का आवंटित किए गए और 212 करोड़ रु. का उपयोग किया गया (101.32%) इस वर्ष के दौरान वास्तविक उपलब्धि (104.56%) भी लक्ष्य से अधिक रही। 51.45 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवार लाभान्वित हुए। निम्नलिखित सारणी 1997-98 के दौरान आईआरडीपी के तहत कार्य निष्पादन दर्शाती है।

क्र.सं.	वर्ग	वित्तीय प्रगति (लाख रुपए में)			वास्तविक प्रगति		
		लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशतता	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशतता
1.	अनु.जातियां	10081.74	9726.10	96.47	168029	178259	106.09
2.	अनु.जन.जातियां	136.62	132.18	96.75	2277	2421	106.32
3.	अन्य	10770.30	11408.10	105.92	165513	170466	102.99
	कुल	20988.66	21266.38	101.32	335819	351146	104.56

19.16 अभी तक किए गए मूल्यांकन अध्ययनों में कई क्षेत्रों में कार्रवाई की जानी की सिफारिश की है, इस संबंध में आयोग राज्य से जोर देकर कहता है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्रवाई की जाए -

(i) **जैसा कि केंद्र सरकार ने निर्देश दिए हैं, गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रहे परिवारों का सर्वेक्षण प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना चाहिए।**

(ii) **लाभग्रहियों की पहचान के विषय में काफी मतभेद है।**

(iii) **स्कीमों का चयन ब्लॉक तथा स्थानीय बैंक द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए।**

(iv) **एक से अधिक संबंधित स्कीम में वित्त का प्रावधान होना चाहिए।**

(v) **अनुवर्ती कार्रवाई और वित्तीय अनुशासन के लिए लाभग्राहियों को विकास पुस्तिका जारी की जानी चाहिए।**

(vi) **लाभग्राहियों को ऋण चुकता अनुसूची दी जानी चाहिए।**

(vii) **परियोजनाओं की सफलता के लिए आगे पीछे के संपर्क उपलब्ध किए जाने चाहिए।**

19.17 स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण (ट्राइसेम) आई आर डी पी का ही एक घटक है जिसके तहत गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के 18 से 35 वर्ष के आयु समूह में आने वाले ग्रामीण युवकों को तकनीकी तथा उद्यम से जुड़े कौशलों में प्रशिक्षण दिया जाता है। 1997-98 के दौरान इस कार्यक्रम के प्रशिक्षित 65,875 युवकों में से 37,360 (55.71) युवक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के थे।

19.18 जवाहर रोजगार योजना राज्य में मजदूरी से जुड़े रोजगार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों में से प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। 1997-98 के दौरान राज्य ने 473 करोड़ रुपए के लक्ष्य की तुलना में 481.2 करोड़ रुपए (101.73%) का उपयोग किया। इस अवधि के लिए 562 लाख श्रम दिवस उत्पन्न करने का लक्ष्य था परंतु वास्तव में पैदा किए गए रोजगार के अवसर 600 लाख श्रम दिवस जो कि 106.73% उपलब्धि दर्शाता है। इस अवधि के दौरान पैदा

किए गए रोजगार के अवसरों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को 50.35% रोजगार मिला। 1997-98 के दौरान प्रगति नीचे सारणी में दर्शाई गई है-

क्र.सं.	श्रेणी	वित्तीय प्रगति (रु. लाखों में)			वास्तविक प्रगति (लाख श्रम दिवसों में)		
		लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिश.	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशतता
1.	अनु.जातियां	10642.85	10827.48	101.73%	123.73	34.86	244.53%
2.	अनु.जन.जा.	36658.71	37294.63	101.73%	438.27	297.63	67.91%
	कुल	47301.56	48122.11	101.73%	561.71	599.49	106.73%

19.19 परंतु सूचना मिली है कि ग्राम पंचायते अपने लेखाओं की समय पर लेखा परीक्षा नहीं करवाती और मजदूरी का भुगतान भी समय पर नहीं किया जा रहा है। इसलिए जे आर वाई के कार्यन्वयन की ध्यानपूर्वक मानीटर करने की आवश्यकता है।

शिक्षा

19.20 राज्य में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का शैक्षिक आधार संतोषजनक नहीं है। राज्य सरकार ने कई उपाय शुरू किए हैं जैसे शैक्षिक संस्थान खोलना, प्रोत्साहन देना, अनुशिक्षण और छात्रावास सुविधाएं आदि परंतु वांछित परिणाम हासिल करने के लिए इन उपायों को समन्वित करना और इनमें सामंजस्य स्थापित करना होगा। इन कार्यक्रमों के कारगर होने के रास्ते में आने वाली कमियों का पता लगाने के लिए मिलकर प्रयास करने होंगे ।

19.21 ऐसी सभी जातियों/जनजातियों का पता लगाने की भी आवश्यकता है जिनमें राज्य भर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की औसत साक्षरता दर से बहुत कम है और उनमें साक्षरता बढ़ाने के लिए विशेष उपाय करने की आवश्यकता है।

19.22 प्राथमिक तथा छोटे बुनियादी विद्यालय स्तरों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों की सकल भर्ती दर नीचे दी गई है:-

क्र.सं.		कक्षा 1 से 5 (6-11 वर्ष)			कक्षा-6 से 7 (11-14 वर्ष)		
	छात्र	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
1.	अनु.जा.	72.9	35.1	53.3	46.2	14.8	32.1
2.	अनु.जन.जा	85.9	53.2	69.8	51.4	21.4	37.5
3.	सभी	85.2	59.9	73.4	62.4	32.6	49.0

स्रोतः- चुने गए शैक्षिक आंकड़े, 1996-97

19.23 जैसा कि देखा जा सकता है, प्राथमिक तथा माध्यमिक दोंनों स्तरों पर अनुसूचित जाति की लड़कियों की भर्ती बहुत कम है। भर्ती की प्रभाविकता का पता नहीं लगाया जा सकता क्योंकि राज्य सरकार शिक्षा बीच में छोड़ कर जाने वालों के बारे में आंकड़े प्रकाशित नहीं करती है।

19.24 मैट्रिक पूर्व/मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां, छात्रावासों के निर्माण, आश्रम विद्यालय आदि जैसी विभिन्न स्कीमों के तहत 1997-98 के दौरान लगभग 9 लाख छात्र लाभान्वित हुए।

प्रौढ़ शिक्षा

19.25 15-35 वर्ष की आयु समूह में लोगों को शिक्षित करने के लिए राज्य में संपूर्ण साक्षरता अभियान (टी एल सी) चलाया जाता है। इसके अंतर्गत औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा से वंचित बच्चों को भी शिक्षित किया जाता है। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को प्राथमिकता देना और उन क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान देना है जिनमें अनपढ़ लोगों की बहुतायत है। 1997-98 में यह कार्यक्रम 16 जिलों में कार्यान्वित किया गया और कुल 16,86,387 लोग भर्ती किए गए जिनमें से 6,02,718 (35.74%) लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के थे।

सेवा में सुरक्षोपाय

19.26 राष्ट्रीय आयोग ने राज्य सरकार को एक परिपत्र लिखा था जिसमें 1.1.98 को सेवाओं में अनु0 जातियों तथा अनु0 जनजातियों के वास्तुवक प्रतिनिधित्व के बारे में सूचना मांगी गई थी । इससे पहले राज्य कार्यालय ने अपेक्षित सूचना उपलब्ध करने के लिए कार्मिक विभाग तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग को भी पत्र भेजे थे । कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है । **राज्य सरकार को यह सूचना संकलित करनी चाहिए और तुरंत आयोग को भिजवानी चाहिए ।**

19.27 राज्य सरकार तथा राज्य सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व पर उपलब्ध नवीनतम आंकडों से यह देखा गया है कि पदों में सभी समूहों में उनके प्रतिनिधित्व में भारी कमी रह गई है । अनुसूचित जातियों के लिए 21 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 2 प्रतिशत निर्धारित कोटा भरने के लिए विशेष भर्ती अभियानों के जरिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिएं । राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकारी सेवाएं अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण अधिनियम के नाम से एक अधिनियम बनाया है । इस अधिनियम में नियोक्ता प्राधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का उपबंध है जो इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करके नियुक्तियां करते हैं । वास्तव में यह एक अच्छा उपाय है और इससे विभिन्न सेवाओं में इन समुदायों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि होनी चाहिए ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार

19.28 यह एक गंभीर चिंता का विषय है कि राज्य के लगभग सभी भागों में अनुसूचित जातियों पर अत्याचार की घटनाएं सूचित की जा रही हैं । अनुसूचित जनजातियों के मामले में जिनकी संख्या केवल 2.87 लाख है, अत्याचार की सूचनाएं आम तौर पर पुलिस के पास नहीं पहुंचती। आयोग के राज्य कार्यालय को दी गई सूचना के अनुसार, यह सूचित किया गया है कि हॉल के वर्षों में अत्याचार के मामले में कुछ कमी आई है। 1996 के दौरान अनुसूचित जातियों पर किए गए अपराधों और अत्याचारों के 11615 मामले पुलिस के पास दर्ज किए गए जबकि 1997 में इनकी संख्या 9256 थी। इनमें अधिकांश मामले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (पी ओ ए) अधिनियम 1989 के तहत दर्ज किए गए हैं। **1996 के दौरान इस अधिनियम के तहत 5631 मामले तथा 1997 में 3439 मामले दर्ज किए गए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ने उत्तर प्रदेश के चुनिंदा जिलों में अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन पर एक अध्ययन**

आरंभ किया है। परंतु आयोग के लिए यह एक चिंता का विषय है कि पुलिस तथा न्यायालयों द्वारा अत्याचार के मामलों का निपटान बहुत धीमा है। अन्वेषण और अभियोजन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार को तुरंत उपाय करने चाहिए।

19.29 राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार अत्याचार के शिकार लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करती आई है। राहत के भुगतान के संबंध में विस्तृत अनुदेश तारीख 17.10.95 के जी.ओ. सं. 4578/ 26.3.95 (256) में जारी किए गए हैं।

19.30 अत्याचार के शिकार लोगों को आर्थिक राहत देने के लिए राज्य सरकार तुरंत कार्रवाई कर रही है। अत्याचार के शिकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को राहत देने तथा उनके पुनर्वास के लिए राज्य समाज कल्याण विभाग ने एक आपातिक योजना भी तैयार की है। राज्य का यह उपाय सराहनीय है। परंतु राज्य सरकार को इस आयोग का प्रभावी कार्यान्वयन अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए।